09

364/XXVIII(1)2014

प्रेषक,

मनीषा पंवार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तराखण्ड।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–1 देहरादून : दिनांकः 28 जनवरी, 2014

विषयः– **राजकीय मेडिकल कॉलेज, श्रीनगर के अन्तर्गत रूरल ट्रेनिंग सेन्टर, कीर्तिनगर में 20 बैडेड इन्टर्न हॉस्टल (10 बैडेड इन्टर्न ब्वायज हॉस्टल + 10 बैडेड इन्टर्न गर्ल्स हॉस्टल) के निर्माण हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–7प/1/मे0का0/91/2002/16669 दिनांक 01.07.2013 के क्रम में राजकीय मेडिकल कॉलेज, श्रीनगर के अन्तर्गत रूरल ट्रेनिंग सेन्टर, कीर्तिनगर में 20 बैडेड इन्टर्न हॉस्टल (10 बैडेड इन्टर्न ब्वायज हॉस्टल + 10 बैडेड इन्टर्न गर्ल्स हॉस्टल) के सिविल कार्यों हेतु टी0ए0सी0 वित्त द्वारा औचित्यपूर्ण पायी गयी धनराशि ₹ 139.26 लाख एवं उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने हेतु औचित्यपूर्ण पायी गयी धनराशि रू0 20.94 लाख अर्थात कुल ₹ 160.20 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 के आय–व्ययक में प्राविधानित धनराशि में से ₹ 64.00 लाख व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

i. उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली के अन्तर्गत की जाने वाली कार्यवाही चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–118/XXVIII(1)/2014-32/2009 T.C. IV दिनांक 07.01.2014 से गठित क्रय समिति द्वारा उक्त कार्यालय ज्ञाप में दिये गये दिशा–निर्देशों के अनुसार की जायेगी।

ii. उक्त व्यय उसी मद में किया जायेगा, जिसके लिए स्वीकृत किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में समस्त प्रचलित वित्तीय नियमों/शासनादेशों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

iii. भुगतान करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रस्तावित कार्य एम0सी0आई0 के मानकों के अनुरूप है एवं तद्नुसार ही सम्पादित किये जायेंगे।

iv. उक्तानुसार अनुमन्य की जा रही धनराशि वर्णित सम्पूर्ण कार्य हेतु अधिकतम व्यय सीमा मात्र को प्राधिकृत करता है परन्तु धनराशि कार्यदायी संस्था को आवंटित किये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि धनराशि का उपयोग नियमानुसार पूर्ण पारदर्शी प्रकिया से किया गया हो एवं स्वीकृत धनराशि आवश्यकतानुसार आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी।

v. उक्त कार्य के संबंध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः–475/XXVII(7)/2008, दिनांक 15.12.2008 के अनुसार निर्धारित प्रारूप पर कार्यदायी संस्था से समझौता ज्ञापन (एम0ओ0यू0) अवश्य हस्ताक्षरित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। कार्यदायी संस्था को आवश्यक धनराशि एम0ओ0यू0 के निष्पादन के बाद अवमुक्त की जा सकेगी। कार्य एम0ओ0यू0 में निर्धारित समय सारिणी के अनुसार पूर्ण किया जायेगा तथा एम0ओ0यू0 में निर्धारित शर्त के अनुसार परियोजना के पूर्ण करने की अवधि में लागत पुनरीक्षण की अनुमति नहीं दी जायेगी। निर्माण कार्य को समयबद्ध रूप से पूर्ण किये जाने का समस्त उत्तरदायित्व निदेशक, चिकित्सा शिक्षा, उत्तराखण्ड का होगा तथा परियोजना को पूर्ण करने या उसकी प्रगति में विलम्ब की स्थिति में समझौता ज्ञापन (एम0ओ0यू0) के प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। विलम्ब की दशा में आगणन पुनरीक्षण पर विचार नहीं किया जायेगा और कार्य समाप्ति के उपरान्त भवन विभाग को हस्तगत कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

क्रमशः पेज–2.....

vi. कार्यदायी संस्था को सैन्टेज प्रभार शासनादेश सं0–163/XXVII(7)/2007 दिनांक 22.05.2008 एवं इस सम्बन्ध में नियोजन विभाग के नवीनतम शासनादेशों के अनुसार देय होगा ।

vii. कार्यदायी संस्था द्वारा समय से कार्य पूरा न करने की दशा में debitable आधार पर अन्य एजेन्सी का अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के अन्तर्गत नियमानुसार चयन कर निर्माण कार्य पूरा किया जायेगा। स्वीकृत निर्माण कार्य को किसी भी दशा में, शासन की पूर्वानुमति के बिना, अपूर्ण अवस्था में समाप्त नहीं किया जायेगा।

viii. कार्य करने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शेड्यूल ऑफ रेटस में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गयी हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता/सक्षम अधिकारी से अनुमोदित करना आवश्यक होगा।

ix. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाए जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाए।

x. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि से मद्देनजर रखते हुए एवं लो0नि0वि0 द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

xi. कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता (कार्य की आवश्यकतानुसार) से कार्य स्थल का भली–भॉति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाए ताकि निरीक्षण के पश्चात् दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाए।

xii. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/XIV-219(2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन कराया जाए।

xiii. कार्यदायी संस्था कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर ले कि कार्य स्वीकृत लागत में ही पूर्ण कराया जायेगा तथा किसी भी दशा में लागत पुनरीक्षित नहीं की जायेगी।

xiv. स्वीकृत धनराशि के आहरण से सम्बन्धित वाउचर संख्या एवं दिनांक की सूचना तत्काल उपलब्ध कराई जायेगी तथा धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका में उल्लिखित प्राविधानों में बजट मैनुअल तथा शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

xv. आगणन को जिन मदों हेतु राशि स्वीकृत की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाये, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाये।

xvi. स्वीकृत धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति आख्या हर दशा में माह की 07 तारीख तक निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध कराई जायेगी।

xvii. कार्यदायी संस्था यह सुनिश्चित कर ले कि योजना हेतु किये जाने वाले कार्य आवंटन/निविदा/आउटसोर्स आदि की सूचना वेबसाइट पर प्रकाशित किये जाने हेतु समय–समय पर सूचनाऐं चिकित्सा शिक्षा विभाग को उपलब्ध करायी जायेंगी।

xviii. धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्कतानुसार अथवा मितव्ययता को ध्यान में रखकर किया जाये।

क्रमशः पेज–03.....

2– इस सम्बन्ध में होने वाला चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–12 के लेखाशीर्षक–4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय–आयोजनागत–03–चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान–105–एलोपैथी– 03–श्रीनगर में मेडिकल कालेज की स्थापना के मानक मद–00–24–वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3– उक्त स्वीकृति में से आय–व्ययक 2013–14 में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि ₹ 64.00 लाख कम्प्यूटर आई0डी0 संख्या–S1401120208, दिनांक 28 जनवरी, 2014 से निर्गत कर दी गयी है।

4– यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 सं0–132(P)/XXVII(3)/2013–14, दिनांक 22 जनवरी, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीया,

(मनीषा पंवार)
सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2- आयुक्त, गढ़वाल मण्डल।
3- जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल।
4- निदेशक, चिकित्सा शिक्षा विभाग,उत्तराखण्ड।
5- निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
6- संबंधित कोषाधिकारी।
7- महाप्रबन्धक, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड, देहरादून।
8- अपर परियोजना प्रबंधक, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड, श्रीनगर इकाई–02।
9- बजट प्रकोष्ट, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10- वित्त अनुभाग–3 / नियोजन विभाग / एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर।
11- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(मायावती ढकरियाल)
उप सचिव।

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20132014

Secretary, Medical Education (S031)

आवंटन पत्र संख्या - 364/XXVIII(1)/2014-49(Srinagar)/2013

अनुदान संख्या - 012

अलोटमैंट आई डी - S1401120208

आवंटन पत्र दिनांक -28-Jan-2014

HOD Name - Director General Medical Health & Family Welfare (2671)

1: लेखा शीर्षक 4210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय 03 - चिकित्सा शिक्षा,प्रशिक्षण तथा अनुसंधान

105 - एलौपैथी

00 - श्रीनगर में मेडिकल कालेज की स्थापना 03 - श्रीनगर में मेडिकल कालेज की स्थापना

Plan Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
24 - वृहत निर्माण कार्य	22459000	6400000	28859000
	22459000	**6400000**	**28859000**

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes - 6400000

(मायावती ढकरियाल)
उप सचिव।